

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

डा० (श्रीमती) रंजना कुमारी,
चिकित्सा पदाधिकारी,
राजकीय औषधालय-सह-उपचार गृह,
नया सचिवालय, विकास भवन, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय: दिनांक 12.08.2019 से 29.08.2019 तक विदेश (यू०के०) जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपका आवेदन पत्रांक 3791 दिनांक 03.05.

दिनांक 12.08.2019 से 29.08.2019 तक विदेश (यू०के०) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1) अवकाश अवधि का विस्तार नहीं करेंगी ।
- 2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं करेंगी ।
- 3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- 5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं करेंगी ।
- 6) प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेंगी ।
- 7) डा० रंजना कुमारी मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को विदेश (यू०के०) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेंगी ।
- 8) एतद्संबंधी अवकाश संचित उपाजित अवकाश से सामंजित होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक :

756(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 25/6/19

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय-सह-उपचार गृह, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 4, 5 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव